

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा ₹०५००



1. नत्थोवी पिता स्व० पक्की धोवी ₹मृतक वारिस III किगरानी/रीवा/श.र/

12017/4335

उद्योग राजस्व को कर्ष रामबाबू धोवी तनय स्व० नत्थ धोवी ₹मृतक वारिस

आज दि 9/11/17 को

अ. श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व० रामबाबू धोवी

ब. सुनील कुमार तनय स्व० श्री रामबाबू धोवी

ग. जगमोहन धोवी तनय नत्थ धोवी

द. शिवमोहन धोवी तनय नत्थ धोवी ₹मृतक वारिस

अ. श्रीमती माया देवी पत्नी शिवमोहन धोवी

ब. महेश कुमार तनय स्व० शिवमोहन धोवी ₹मृतक वारिस

अ. श्रीमती गीता पत्नी महेश कुमार धोवी

ब. मयंक धोवी तनय महेश कुमार धोवी उम्र 5 वर्ष

स. आर्यन तनय महेश कुमार धोवी उम्र 4 वर्ष नांवालिग द्वारा

बनी सरपरस्त हूँ श्रीमती गीता पत्नी महेश कुमार धोवी

घ. राममोहन धोवी तनय नत्थ धोवी

ड. विजयलाल धोवी तनय नत्थ धोवी, सही निवासी ग्राम डभौरा तह

जब्रा जिला रीवा ₹०५००

2. आरदा धोवी पिता स्व० पक्की धोवी ₹मृतक वारिस

क. राममिलन धोवी | सही के पिता स्व० आरदा धोवी नि० ग्राम

ख. रमेश धोवी | डभौरा तह जब्रा जिला रीवा ₹०५००

ग. राकेशचक्र

घ. रामप्रकाश धोवी

— निगरानीकर्ता म

ब ना म

शासन म०५०।

— गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय कोलेक्टर रीवा जिला  
रीवा ₹०५०० ५०५०५६/अ-१९/स्व०निग०/२००३-२००४  
दि० ३०-१०-१७ शासन म०५० बनाम नत्थ धोवी व अन्य.

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०५०-रा० १९५९ई०।

मान्यवर,

: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :

1. यह कि श्रम खसरा नं० 1237 रकबा 3.70९० स्थित ग्राम डभौरा  
ग्राम हंचायत डभौरा तह जब्रा जिला रीवा ₹०५०० में स्थित है। राजस्व  
अभिलेखों में उक्त खण्ड शासन म०५० के स्वामित्व की श्रम थी। आ० नं०  
1237 रकबा 3.70९० पर रीवा राज्य के समय वर्ष 1940-42 से लगातार

विजयलाल धोवी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक 11/18-12-18/14335 जिला-रीवा

नत्थु धोकी विरुद्ध म० प्र० प्रा० 11/18

| (1)       | (2)  | (3) |
|-----------|--|-----|
| 18-12-18- | <p>1. आवेदक की ओर से श्री स्वदीप सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अफसर कलेक्टर, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 56/19/18/11/0304 में पारित आदेश दिनांक 30-10-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म० प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 07-03-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> |     |